

प्रेस- विज्ञापित

गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- जीएसआर 453 (ई), दिनांक 21-05-2010 एवं राज्य सरकार के पत्र संख्या:- 166/12/XX-2/277/अभा0स0/विविध/2009 दिनांक 29-05-2012 के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद हरिद्वार में विद्यमान शस्त्र लाईसेंसधारकों का अद्यतन विवरण एन0डी0ए0एल0 पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है।

अतः जनपद हरिद्वार में दर्ज-विद्यमान सभी शस्त्र लाईसेंसधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने-अपने शस्त्र लाईसेंस की प्रति सहित * के0वाई0सी0 * फार्म भरकर अपने निकट से संबंधित थाना/कोतवाली में दिनांक 20-09-2015 तक जमा कराने का कष्ट करें, अन्यथा शासन के निर्देशानुसार संबंधित शस्त्र लाईसेंसधारक का शस्त्र लाईसेंस स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसके क्रम में शस्त्रधारकों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम/भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में आपराधिक मुकदमा/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

* के0वाई0सी0फार्म जनपद के सभी थाना/कोतवाली/ तहसील कार्यालय तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (कलक्ट्रेट) शस्त्र अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। *

जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

०४

संख्या:- २४७ /आयुध सहायक-2015,

दिनांक:- सितम्बर 2015

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव/अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी कोतवाली/थाना प्रभारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी(आयुध)।
- 4- पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण जनपद हरिद्वार।
- 5- समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जनपद हरिद्वार।
- 6- समस्त क्षेत्राधिकारी (पुलिस) जनपद हरिद्वार।
- 7- समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जनपद हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा शस्त्रधारकों से प्राप्त उपरोक्त अभिलेख/जानकारी शस्त्र अनुभाग, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

शस्त्र लाइसेंसधारियों द्वारा दिया जाने वाला व्यक्तिगत विवरण - KYC

- | | | | | |
|--|----------|------|------------------|------------------|
| 1.नाम- | | | | |
| 2.जन्म तिथि- | | | | |
| 3.लिंग- | पुरुष | | स्त्री | |
| 4.पेशा- | | | | |
| 5.माता/पिता/अभिभावक का नाम- | | | | |
| 6.जन्म स्थान- | | | | |
| 7.दूरभाष संख्या- | कार्यालय | | आवास | मो0 |
| 8.वर्तमान पता- | | | | |
| 9.वर्तमान पते से संबंधित थाना- | | | | |
| 10.स्थायी पता- | | | | |
| 11.स्थायी पते से संबंधित थाना- | | | | |
| 12.लाइसेंस संख्या- | | | | |
| 13.वैधता- | दि0 | | से | तक |
| 14.जारी करने का दिनांक- | | | | |
| 15.लाइसेंस की सीमा क्षेत्र- | | | | |
| 16.शस्त्र की श्रेणी- | | | | |
| 17.शस्त्र का प्रकार- | बोर | | शस्त्र सं0- | |
| 18.मेक-
प्रतिबंध यदि कोई है- | | | कारतूसों की सं0- | |
| 19.एन.एस.पी. शस्त्र- | हाँ | नहीं | | |
| आर्डिनेंस फैक्ट्री निर्गत शस्त्र को
विक्रय करने पर प्रतिबंध | हाँ | नहीं | आजीवन प्रतिबंध | प्रतिबंध की तिथि |
| स्टेट फायर ब्यूरो द्वारा शस्त्र
विक्रय करने पर प्रतिबंध | हाँ | नहीं | आजीवन प्रतिबंध | प्रतिबंध की तिथि |
| इम्पोर्टेड शस्त्र | हाँ | नहीं | आजीवन प्रतिबंध | प्रतिबंध की तिथि |

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर